

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला-शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/326/2024

दिनांक :- 13/05/2024

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र.सं.326/24 अनवान जगदीश पिता गोपीलाल मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा बनाम प्रेम पत्नि चतरा मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, शिवराज मीणा पिता नारायण मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, मुकेश पिता चतरा मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, राकेश पिता चतरा मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, राजेन्द्र पिता नारायण मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, ईश्वर पिता बहादुर मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, बृजराज पिता खेमरा मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, मनोज पिता शिवराज मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, भोपाल पिता खेमराज मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, राजकुमार पिता बहादुर मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, राजेन्द्र पिता रामनिवास मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, राजा पिता प्रेम सिंह मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, कुन्दन सिंह पिता हंसराज मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, रामराज पिता बहादुर मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, सोजी पिता रामनिवास मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, सोदारा पत्नि प्रेम सिंह मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, चन्दन सिंह पिता हंसराज मीणा, निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, चरण सिंह पिता प्रेम सिंह मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, जोरावर पिता देवीसिंह मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, अजीत पिता रंगलाल मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, अभय पिता रंगलाल मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, यशपाल पिता रंगलाल मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा, सोजी पिता छोटू मीणा निवासी-टीकड़, तहसील-जहाजपुर, जिला-शाहपुरा की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम टीकड़, प.ह. टीकड़ तहसील-जहाजपुर में स्थित आ.सं. 1350, 1351 कुल किता 2 रकबा 0.2590 हैक्टर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 1500/-रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/सम्मन भेजकर उभय पक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी आदेश पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम-जहाजपुर (शाहपुरा)
जगदीश पिता गोपीलाल मीणा

बनाम

प्रेम पत्नि चतरा मीणा निवासी-टीकड़, वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 आर. एल.आर.ए. मुकदमा नं. 326/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
13/05/24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की आ.सं. 1350, 1351 कुल कित्ता 2 रकबा 0.2590 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र पत्र 111, 128 रा.ले. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि आ.सं. 1350, 1351 कुल कित्ता 2 रकबा 0.2590 हैक्टेयर हैक्टेयर कृषि भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500/-रूपये तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100/-रूपये राजकोष में जमा करावें। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)